संख्या-25/2024/1171/60-1099/55/2023

प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 27 अगस्त, 2024**

विषय:- विभाग द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संचालित राजकीय गृहों/बोर्ड में तैनात कार्मिकों के वेतन भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक् आपके पत्र संख्या-241/म0क0निदे0/लेखा-बजट/पुनर्विनियोग/2024-25, दिनांक 31.07.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में व्यवस्थित लेखाशीर्षक-"2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण के उपशीर्ष 13-संस्थानों/गृहों का संचालन" के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु **रू0 10013.75 लाख (रूपये एक अरब तेरह लाख पचहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति ही निर्गत किया जायेगा।

(3) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) जिस मद से धनराशि सक्रंमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	01 वेतन	57,81,80,000 (रुपये सत्तावन करोड़ इक्यासी लाख अस्सी हजार मात्र)
2	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	03 मंहगाई भत्ता	37,58,17,000 (रुपये सैंतीस करोड़ अट्ठावन लाख सत्रह हजार मात्र)
3	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	06 अन्य भत्ते	44,80,000 (रुपये चौवालीस लाख अस्सी हजार मात्र)
4	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	55 मकान किराया भत्ता	4,28,98,000 (रुपये चार करोड़ अट्ठाईस लाख अट्ठानबे हजार मात्र)
	कुल			1,00,13,75,000 (रुपये एक अरब तेरह लाख पचहत्तर हजार मात्र)
महायोग				**1,00,13,75,000 (रुपये एक अरब तेरह लाख पचहत्तर हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा तत्संबंधी बी0एम0-9 प्रपत्र पर आवंटित **आर.ई. संख्या-बजट-1-42, दिनाँक 23.08.2024** के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

संख्या-25/2024/1171(1)/60-1099/55/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।